बिहार सारकार

पथ निर्माण विभाग

आदेश

अधि०सं०– निग/सारा–(एन०एच०)–उड़नदस्ता–53/2018 पटना, दिनांक–..............................

श्री राजीव कुमार दास, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पदस्थापन काल के दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–131A के कि०मी० 55.12 से कि०मी० 70 तक किये गये IRQP कार्यों की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 द्वारा किया गया। उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–4 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पायी गयी 01 (एक) त्रुटि/अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक–9954(एस) अनु० दिनांक–30.10.2017 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री दास के पत्रांक–शून्य दिनांक–14.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा में पथ में BC Grade-II कार्य के अन्तर्गत अलकतरा की औसत मात्रा 4.07 प्रतिशत पायी गयी, जो प्रावधान 5.4 प्रतिशत तथा विभागीय टॉलरेन्स लिमिट 4.19 प्रतिशत से कम हैं। उक्त पायी गयी कमी के संबंध में श्री दास के द्वारा कोई ठोस एवं खण्डनयुक्त तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप विभागीय तकनीकी समिति की दिनांक–27.07.2018 को आहूत बैठक में समीक्षोपरान्त श्री दास का दायित्व निर्धारित किया गया।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री दास, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए सरकार के निर्णयानुसार सम्यक् विचारोपरान्त इनके विहित समानुपातिक दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(v) के तहत् विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–264–सह–पठित ज्ञापांक–7655(ई०) दिनांक–05.11.2018 द्वारा इनके विरूद्ध **"तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दंड संसूचित किया गया।

3. संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री दास के पत्रांक–शून्य दिनांक–04.12.2018 के द्वारा अपना पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया। श्री दास के द्वारा अपने समर्पित पुनर्विचार अर्जी में मुख्य रूप से विषयांकित मामले में ही संबंधित संवेदक के विरूद्ध विभाग द्वारा दो वर्षों के लिए निलंबित किये जाने एवं कम मात्रा में उपयोग किये गये अलकतरा की राशि की वसूली किये जाने का दंड अधिरोपित किये जाने के पश्चात् संवेदक द्वारा इसके विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–4555 दिनांक–04.07.2018 द्वारा संवेदक के निलंबन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया। साथ ही, कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–04, पथ निर्माण विभाग को विषयांकित पथ के प्रत्येक दो (02) कि०मी० पर संवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बिटुमिन की मात्रा की जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिया गया। श्री दास ने विभाग को समर्पित जाँचफल के आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक–7947 दिनांक–26.11.2020 के द्वारा की गई समीक्षा के उपरान्त संवेदक के मामले को समाप्त किये जाने को अपने बचाव का आधार बनाया गया।

इसी क्रम में श्री दास के द्वारा एक अन्य अभ्यावेदन दिनांक–29.01.2022 विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें उड़नदस्ता प्रमण्डल संख्या–04 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संवेदक के विरूद्ध अन्तिम रूप से लिये गये निर्णय को आधार बनाते हुए उनके विरूद्ध संसूचित लघु दण्ड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री दास द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी। अभियंता प्रमुख के द्वारा उड़नस्ता प्रमण्डल संख्या–04 के दिनांक–01.08.2018 को जाँचोपरान्त उपलब्ध कराये गये गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए मामले से संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की विवेचना की गयी है, जिसमें कार्यपालक अभियंता के अभ्यावेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने का मंतव्य इस आधार पर दिया गया है कि, टी०टी०आर०आई० द्वारा विभाग के सभी प्रमण्डलों के संपादित कार्यों का गुणवत्ता जाँच किया जाता है। संदर्भित मामले में जिस प्रमण्डल द्वारा कार्य का संपादन कराया गया है, उसी प्रमण्डल यथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ अधीनस्थ गुण नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा द्वितीय गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदित किया गया है, जो टी०टी०आर०आई० द्वारा किये गये जाँच के

कृ०पृ०उ०

कि०मी० पथांश से अलग लोकेशन एवं भिन्न पथांश हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्वयं स्वीकार किया गया है कि अलकतरा विभागीय टॉलरेंस मानक से कम है। तदालोक में कार्यपालक अभियंता के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। श्री दास द्वारा भी अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों को अंकित किया गया है, जो तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में अंकित किया गया था। इसलिए उसी आधार पर श्री दास द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को भी अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में श्री राजीव कुमार दास, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक–शून्य दिनांक–04.12.2018 को अस्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–उड़नदस्ता–53/2018 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता रा०उ०प (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02/13/14, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री राजीव कुमार दास, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–(एन०एच०)–उड़नदस्ता–53/2018 2927(S) पटना, दिनांक :– 07/4/25

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

04/4/25

अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

03.04.25